



**कार्यालय कार्यपालन अभियंता**  
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड – कोरबा (छ.ग.)**

I.T.I. Chowk, Rampur, Korba (C.G.)

Contact No. : 07759-221270 (O), Fax : 07759-228663, E-mail : eekor-phe-cg@nic.in

पत्र क्रं. / 2528 / ले.शा. / का.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2015 / कोरबा

दिनांक 15-7-15

प्रति,

संचालक,

जनसंपर्क संचालनालय

इन्द्रावती भवन, मंत्रालय के पास,

नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :- निविदा क्रमांक 21 दिनांक 15.07.2015 के प्रकाशन बाबत।

-----00-----

इस कार्यालय के निविदा क्रमांक 21 / दिनांक 15.07.2015 को ऑन लाईन प्रकाशन हेतु आपकी ओर भेजी जा रही है। कृपया यथा समय राष्ट्रीय व प्रादेशिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने एवं प्रकाशित की गई समाचार पत्रों की प्रतियाँ रिकार्ड हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

*Amul Jain*  
15.07.2015

कार्यपालन अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग  
खण्ड-कोरबा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 2529 / ले.शा. / का.अ. / लो.स्वा.यां. / 2015 / कोरबा , दिनांक 15-7-15

प्रतिलिपि :-

- 1) प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
- 2) मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग बिलासपुर परिक्षेत्र, बिलासपुर (छ.ग.)।
- 3) अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर (छ.ग.)।  
की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 4) NIC कोरबा को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ सम्प्रेषित।

*Amul Jain*  
15.07.2015

कार्यपालन अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग  
खण्ड-कोरबा (छ.ग.)



# कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड – कोरबा (छ.ग.)

I.T.I. Chowk, Rampur, Korba (C.G.)

Contact No. : 07759-221270 (O), Fax : 07759-228663, E-mail : eekor-phe-cg@nic.in

निविदा सूचना क्र. 21 /तशा./का.अ./लो. स्वा. यां./2015/कोरबा,

दिनांक 15.07.2015

## द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ शासन के राज्यपाल की ओर से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, कोरबा के अंतर्गत आर.सी.सी. उच्च स्तरीय जलागार का डिजाईन, निर्माण, परीक्षण व सभी पाईप वाल्व का प्रदाय एवं फिटिंग कार्य हेतु निविदा एकल प्रणाली के तहत डी-श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रपत्र "एफ" में एक मुस्त दर पर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से नीचे उल्लेखित कार्य करने हेतु टर्न की जॉब के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 11.08.2015 को सायं 5.30 बजे तक लोक आमंत्रित की जाती है।

निविदा के तकनीकी प्रस्ताव दिनांक 12.08.2015 को अपरान्ह 12:30 के पश्चात् निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों जो उपस्थित रहना चाहते हैं के समक्ष खोले जायेंगे। वित्तीय प्रस्ताव खोलन की तिथि तथा स्थान की सूचना पृथक से ठेकेदारों को तकनीकी प्रस्ताव खोलने के बाद में दी जायेगी।

### समय सारिणी :-

1	निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	:-	05.08.2015 समय सायं 5.30 बजे तक
2	कोरे निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	:-	06.08.2015 समय सायं 5.30 बजे तक
3	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि/समय (स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक)	:-	11.08.2015 समय सायं 5.30 बजे तक
4	तकनीकी प्रस्ताव खोलने की अंतिम तिथि/समय	:-	12.08.2015 समय अपरान्ह 12.30 बजे से

**कार्य का विवरण :-** कोरबा जिला के विभिन्न विकासखण्डों में निम्नांकित क्षमता तथा स्टेजिंग के आर.सी.सी. उच्चस्तरीय जलागार का डिजाईन निर्माण एवं परीक्षण करना (सभी पाईप, स्पेशल्स तथा फिटिंग आदि के प्रदाय एवं स्थापना सहित) इत्यादि का कार्य।

समूह क्र.	ग्राम का नाम	विकासखण्ड का नाम	टंकी की क्षमता (कि.ली. में)	स्टेजिंग (मी. में)	ठेके की अनुमानित लागत (रु. लाख में)	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षा ऋतु सहित)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ठेकेदार के श्रेणी	निविदा की वैधता
1	धनगांव	कोरबा	80	12	10.42	7820.00	6 माह	750/-	डी एवं उच्च	120 दिन
2	संडेल	करतला	100	12	12.45	9340.00	6 माह	750/-	डी एवं उच्च	120 दिन
3	सुतरा	पोडीउपरोडा	100	12	12.45	9340.00	6 माह	750/-	डी एवं उच्च	120 दिन

निविदा संबंधित विस्तृत जानकारी, निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 05.08.2015 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समय में तथा छत्तीसगढ़ शासन की वेब साईट "<http://www.cg.nic.in/tender>" पर देखी जा सकती है।

“हैण्डपंप संबंधी शिकायत टोल फ्री नं. 18002330008 पर दर्ज करावें”

कार्यपालन अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग  
खण्ड-कोरबा (छ.ग.)

**निविदा प्रपत्र प्रदाय हेतु आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जावे, एवं उसके साथ निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें :-**

1. निविदा प्रपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।  
(अ) छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्य कर पंजीयन एवं क्लीयरेंस प्रमाण पत्र।  
(ब) उपरोक्त कार्य हेतु समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अनुभव बिना निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।  
(स) वैध राजस्व साल्वेंसी अथवा बैंक साल्वेंसी।
2. आयकर रिटर्न जमा करने की प्रमाण पत्र एवं छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्यकर पंजीयन प्रमाण पत्र।
3. एकल पंजीयन प्रणाली के तहत लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर में पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र।
4. निविदा कार्य समरूप पूर्ण किये गये कार्य एवं अन्य प्रगतिशील कार्यों की सूची शपथ पत्र सहित जिसमें कार्य का स्थान अनुबंध की राशि, कार्यादेश का संदर्भ कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्य पूर्ण करने की वास्तविक अवधि एवं कार्य की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करना होगा।
5. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पत्र क्र. 1729/एफ-10-1/07/34-2/01 रायपुर दिनांक 27.07.07 के अनुसार ठेकेदार निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की पात्रता रखेंगे। इस हेतु उनके द्वारा विगत पांच वर्ष में सफलता पूर्वक किये गये कार्य की जानकारी तथा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि प्रस्तुत करना आवश्यक है।
6. सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण करने हेतु उपलब्ध उपकरण एवं संयंत्रों की सूची।
7. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत ठेकेदारों के प्रत्येक देयकों से 1 प्रतिशत राशि श्रमिक कल्याण निधि हेतु काटी जावेगी।
8. कार्य की लागत 10.00 लाख अथवा अधिक की स्थिति में ठेकेदार द्वारा भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार में अपना पंजीयन दर्ज कराना अनिवार्य है तथा निविदा के साथ पंजीयन की शर्त प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है। पंजीयन की प्रति संलग्न नहीं करने निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

**निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु अर्हता मापदण्ड :-**

**(छ.ग. शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के पत्र क्र. 1026/दिनांक 25.02.2012 के अनुसार)**

**1. पंजीयन :**

एकल पंजीयन प्रणाली के तहत प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर में उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन आवश्यक है। विशिष्ट प्रकृति के (Specialised nature) कार्य/कार्यों हेतु संबंधित प्रकृति के विशिष्ट श्रेणी/श्रेणियों में पंजीयन आवश्यक है।

**2. कार्य का निष्पादन क्षमता :**

वार्षिक टर्न ओव्हर प्रमाण पत्र  
कार्य के निष्पादन क्षमता

निष्पादन क्षमता =  $A \times N \times 2.0 - C$

Where (A) = पिछले पांच वर्षों में किए गए कार्य की अधिकतम राशि (10% अधिभार प्रतिवर्ष सहित)

(N) = कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि (वर्षों में)

(C) = निविदा जारी होने के तिथि तक निविदाकार द्वारा समाप्त अनुबंधित ठेको की कुल कार्यों की लागत (20% अधिभार प्रतिवर्ष सहित)

**3. विगत 3 वर्षों में किसी भी एक वर्ष में किसी ठेकेदार द्वारा कार्य को अधुरा छोड़ा गया अथवा कार्य स्वीकृति पश्चात् कार्य प्रारंभ नहीं किया गया हो। ऐसे ठेकेदार निविदा के लिए अपात्र माने जावेंगे।**

**4. कार्य का अनुभव :**

स्वयं के नाम पर अथवा फर्म एवं कंपनी के नाम पर कार्य का कम से कम सामान्यतः 50% प्रतिशत मात्रा का निविदाकार को अनुभव होना चाहिए। किसी एक अनुभव के अन्तर्गत निविदा में दर्शित उच्च स्तरीय जलागार के अधिकतम क्षमता के कम से कम 50 प्रतिशत क्षमता एवं न्यूनतम 50 प्रतिशत उंचाई के अथवा निविदा दस्तावेज में दर्शित उच्च स्तरीय जलागार के निर्माण कार्य की राशि से 50 प्रतिशत राशि का (10 प्रतिशत अधिभार प्रतिवर्ष सहित) एक अनुबंध के अन्तर्गत करने का अनुभव। 100 कि.ली. तक की क्षमता का उच्चजलागार निर्माण के लिये उच्च जलागार निर्माण के अधीन विभाग में पंजीयन पर्याप्त होगा।

जिस ठेकेदार द्वारा पूर्व के अनुबंधों के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। उन्हे निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।

**अन्य शर्तें :-**

1. एक मुश्त निविदा दर समस्त कर एवं अधिभार जो कार्य संपादन के समय प्रभावी हो सहित होना चाहिए।
2. किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी को होगा।
3. निविदाकार को वर्तमान में प्रगतिरत टंकी के कार्य का विवरण जैसे स्थान, विभाग, क्षमता स्टेजिंग एवं लागत का उल्लेख कर विवरण देना होगा।
4. निविदाकार द्वारा विभाग में अन्य कार्य हेतु निविदा दिया है, तथा उनकी दर न्यूनतम एवं विचाराधीन है। इसके अंतर्गत स्थान स्टेजिंग एवं लागत का पूर्ण उल्लेख होना चाहिए।
5. निविदा का Annexure-I भर कर निविदा प्रपत्र की प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र के लिए देना होगा अन्यथा निविदा में भाग नहीं होने दिया जायेगा।
6. यदि किसी तथ्य को छुपाया जावेगा तो निविदाकार से नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं अमानत राशि राजसात की जावेगी।
7. समस्त विवादों का निपटारा सक्षम न्यायालय कोरबा में जिले के अंतर्गत किया जायेगा।
8. निविदा की वैधता निविदा खोलने की तिथि से 120 दिनों की होगी।
9. टंकी निर्माण उपरांत पानी भरकर परीक्षण स्वयं के व्यय पर करना होगा।
10. कम से कम 06 माह तक टंकी का संचालन संधारण ठेकेदार को करना होगा तथा सफलतापूर्वक संचालन उपरान्त ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत को हस्तांतरित करना होगा।
11. प्रत्येक कांक्रिटकरण पर क्यूब तैयार करना होगा तथा भुगतान के समय क्यूब परीक्षण प्रतिवेदन देना होगा।
12. टंकी में उपयुक्त आकार तथा रंग में योजना का नाम टंकी की क्षमता लिखना होगा।
13. आबंटन शाखपत्र उपलब्ध होने पर भुगतान किया जावेगा। भुगतान विलंब होने पर अतिरिक्त देय नहीं होगा।
14. निविदाकार को कार्य में प्रयुक्त सीमेंट का आई.एस. - 269-1976 तक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

*Amul Jain*  
15.02.2015  
कार्यपालन अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग  
खण्ड-कोरबा (छ.ग.)

पृष्ठां. क्र. 2527 / तशा. / का.अ. / लो. स्वा. यां. / 2015 कोरबा,  
प्रतिलिपि :-

दिनांक 15-2-15

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, मंत्रालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, बिलासपुर परिक्षेत्र बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, बिलासपुर मण्डल बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
6. कलेक्टर, जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
7. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड ..... की ओर सूचनार्थ।
8. सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय उपखण्ड ..... की ओर सूचनार्थ।
9. सहायक संचालक, जन सम्पर्क विभाग, कोरबा की ओर सूचनार्थ।
10. सूचना पटल खण्ड कार्यालय कोरबा।
11. मेसर्स .....

*Amul Jain*  
15.02.2015  
कार्यपालन अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग  
खण्ड-कोरबा (छ.ग.)